

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone: 0141-2706847

एफ20(101)आयो/आकाशि/2023-09622

आदेश

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य निधि मद के अन्तर्गत 61 राजकीय महाविद्यालयों (34 सहशिक्षा एवं 27 कन्या शिक्षा) में विद्यार्थियों, प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय एवं स्टाफ हेतु फर्नीचर क्रय करने हेतु निम्नानुसार राशि व्यय किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है-

बजट मद 2202-03-103-02-00-05- कार्यालय व्यय मद

S.No.	Name of Colleges	Amount (in lakhs)
1.	Govt College Baneda	5.00
2.	Govt College Bansur	5.00
3.	Govt College Basai nawab, Dholpur	4.00
4.	Govt College Hindumal kot	4.00
5.	Govt College Kudi Bhagatsani	5.00
6.	Govt College soor sagar	5.00
7.	Govt College Kanwar Nagar, Jaipur	5.00
8.	Govt College Khajuwala	4.00
9.	Govt College Dhorimanna	5.00
10.	Govt College kishangarh renwal	4.50
11.	Govt College Losal	5.00
12.	Govt College Khairtal	5.50
13.	Govt College Laxman garh (alwar)	5.00
14.	Govt College Mavli	5.00
15.	Govt College Sapau	5.00
16.	Govt College Magrol	5.00
17.	Govt College Patodi	5.00
18.	Govt College Patan	4.50
19.	Govt College Atru	5.50
20.	Govt College Laxmangarh, sikar	5.00
21.	Govt College tibbi	4.00
22.	Govt College shiv	2.00
23.	Govt College mania	5.00
24.	Govt College Malakhera	5.00
25.	Govt College Chouth ka barwada	2.50
26.	Govt College Bagru	6.00
27.	Govt College shahbad	5.00
28.	Govt College sahawa	5.00
29.	Govt College fatehpur sikar	6.00
30.	Govt College nagal rajawat	5.00
31.	Govt College Weir, Bharatpur	4.00
32.	Govt College Radawas	5.00
33.	Govt College SriDungargarh Bikaner	5.50
34.	Govt College, Mandawar	5.00

Signature valid

Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.09.04 17:02:48 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone: 0141-2706847

बजट मद 2202-03-103-03-00-05- कार्यालय व्यय मद

S.No.	Name of College	Amount (In lakhs)
1.	Govt Girls College Duni	5.00
2.	Govt Girls College Bahrod	5.00
3.	Govt Girls College Sikandara	5.00
4.	Govt Girls commerce College Kota	6.00
5.	Govt Girls College Sandwa	5.00
6.	Govt Girls College Srimadhpor	4.50
7.	Govt Girls College Khinvsar	2.50
8.	Govt Girls College Parasrampur	5.00
9.	Govt Girls College Jhalamand	2.00
10.	Govt Girls College Atru	4.00
11.	Govt Girls College Bayatu	4.00
12.	Govt Girls College sujangarh	4.50
13.	Govt Girls College Aligarh (uniara)	2.50
14.	Govt Girls College Rampura	4.50
15.	Govt Girls College Chaksu	4.00
16.	Govt Girls College Kelwara	4.00
17.	Govt Girls College Hanumangarh	5.00
18.	Govt Girls College Guda	4.00
19.	Govt Girls College Bandikui	5.00
20.	Govt. Arts girls college, Kota	4.00
21.	Govt. Girls College, Kishangarh Bas, Alwar	2.00
22.	Govt Girls college Chhareda	2.00
23.	Govt Girls College, Gangapur City	4.00
24.	Govt. Girls College, Rajgarh Churu	5.00
25.	Govt. Girls College, Peeplu tonk	5.00
26.	Govt. Girls College, Niwai	3.50
27.	Govt. Girls College, marena, Dholpur	2.00

उक्त बजट मद में से संलग्न सूची अनुसार नवीन फर्नीचर क्रय करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

- महाविद्यालय द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, कार्यरत कार्मिकों की संख्या एवं उपलब्ध फर्नीचर के परिपेक्ष्य में न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन करते हुए तदनुसार आवश्यक फर्नीचर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- अस्थायी भवन में यदि अतिरिक्त फर्नीचर की आवश्यकता है तो स्वीकृत राशि में से न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार फर्नीचर क्रय किया जावे एवं शेष स्वीकृत राशि में अस्थायी भवन में आवश्यक होने के पश्चात् फर्नीचर क्रय किया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Pukiraj Sen
Designation: Commissioner
Date: 2024.09.04 17:02:48 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone: 0141-2706847

3. महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अस्थायी भवन में उपलब्ध फर्नीचर को नवीन भवन में शिफ्ट किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय एवं स्टाफ हेतु फर्नीचर क्रय करने हेतु स्वीकृत राशि में से अधिकतम राशि 1.00 लाख रुपये की सीमा में व्यय न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. महाविद्यालय में फर्नीचर क्रय हेतु और अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो प्राचार्य द्वारा यथासमय औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आयुक्तालय को प्रेषित किये जावे।
6. उक्त राशि का व्यय RTPP ACT 2012, RTPP RULE 2013, GF&AR एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाना, स्वीकृत मद में स्वीकृत कार्य हेतु दी गई सीमा में ही राशि का उपयोग किया जाना एवं व्यय की गई राशि की सूचना आयुक्तालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 152401694 दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(पुखराज सेन)
आयुक्त

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, कोष कार्यालय राजस्थान।
4. संबंधित नोडल प्राचार्य/प्राचार्य, राजस्थान को भेजकर लेख है कि स्वीकृत राशि का उपयोग अविलम्ब कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को सूचित करें।
5. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

Signature valid

Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Commissioner
Date: 2024.09.04 17:02:48 IST
Reason: Approved